



पत्रांक:- 196/अ0छा0कल्य0कार्य0 / DSMNRU / 2022-23

दिनांक-22 नवम्बर, 2023

सेवा में,

समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष एवं कोर्स कोऑर्डिनेटर
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

कृपया जिलाधिकारी लखनऊ के पत्रांक-221/पि0व0क0/छा0शुल्क0/2023-24 दिनांक: 10 अक्टूबर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समाज कल्याण / पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिनांक 03.10.2023 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त निर्गत किया गया है। जिसके अनुसार विभागीय स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित किये जाने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है:-

- विभाग में अध्ययनरत् तथा आवेदन करने वाले छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता आवश्यक है।
- विभाग उन्ही छात्रों के आवेदनों को अग्रसारित करेगा, जिनके विगत वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित हो गये होंगे तथा आवेदन में वार्षिक आधार पर प्राप्तांक और पूर्णांक अंकित किये गये होंगे इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक सूचनाओं का परीक्षण कर आवेदन को अग्रसारित करना होगा।
- विभाग के प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75 प्रतिशत उपस्थिति सम्बन्धी अभिलेखों का अभिलेखीकरण करते हुए सम्बन्धित सूचना अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग के कार्यालय को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करायेगें। निर्धारित मानक न पूर्ण करने वाले छात्रों के आवेदन किसी भी स्थिति में अग्रसारित न किये जायें।

कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(डॉ० आशुतोष पाण्डेय)
अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. नोडल आफिसर-02, छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय।
5. समस्त सदस्य अधिष्ठाता, छात्र कल्याण मण्डल, विश्वविद्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

(डॉ० आशुतोष पाण्डेय)
अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण

समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिनांक: 03-10-2023 को आहूत बैठक की कार्यवृत्ति।

1-उपस्थिति

समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/अध्यक्ष दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति की अध्यक्षता में दिनांक: 03-10-2023 को आहूत बैठक में जिलाधिकारी महोदय के अतिरिक्त निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे-

- 1-जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
- 2-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
- 3-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
- 5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, लखनऊ।
- 6-शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त संस्थानों के नोडल अधिकारी/प्रतिनिधि।

2-बैठक में निम्न बिन्दुओं पर समग्रता से विचार किया गया-

- पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) के पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटा अपडेट कर लॉक करने, छात्र/छात्राओं के आवेदन भराने तथा शिक्षण संस्थान स्तर से समयान्तर्गत सत्यापित कर अग्रसारित करने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक: 28 जुलाई, 2023 द्वारा निर्गत समय-सारिणी के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा-11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत) पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटा अपडेट कर लॉक करने, छात्र/छात्राओं के आवेदन भराने तथा शिक्षण संस्थान स्तर से समयान्तर्गत सत्यापित कर अग्रसारित करने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक: 15 सितम्बर, 2023 द्वारा निर्गत समय-सारिणी के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।
- शिक्षण संस्था में अध्ययनरत तथा आवेदन करने वाले छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता तथा शिक्षण संस्था स्तर पर उपस्थिति के अभिलेखीकरण की समीक्षा।
- निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद-लखनऊ की टाप टेन शिक्षण संस्थाओं में आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति को पायलेट प्रोजेक्ट के तौर लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
- विगत वर्षों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त छात्र, जिनकी छात्रवृत्ति धनराशि नियमावली के प्राविधानों के अनुसार वापसी/वसूली योग्य थी, उक्त धनराशि को संस्थाओं/छात्रों के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 22/2016-536/64-2-2016-1 (छात्रवृत्ति)/2013 दिनांक: 19 अगस्त, 2016 के बिन्दु संख्या 5(ix) में वर्णित व्यवस्था के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।
- पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक: 19 अगस्त, 2016 के बिन्दु संख्या 6(अ) में वर्णित प्राविधानों के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।
- समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 221/2019/4119/26-3-2019(रिट)/2011 दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 एवं समान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संशोधित नियमावली के नियम 5(xv) व नोट-2 एवं शासनादेश संख्या: 148/2018/2063/26-3-2018-4(358)/07टी0सी0-111 दिनांक: 28 जून, 2018 सप्तम संशोधन के नियम 5(xvii) में वर्णित व्यवस्था के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।

3- बैठक में निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं पर मत स्थिर किया गया

- पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10), दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए) योजना के क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक: 28 जुलाई, 2023 एवं दिनांक: 15 सितम्बर, 2023 द्वारा निर्गत समय-सारिणी के अनुसार शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम, सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क संरचना को अपडेट कर लॉक करने, छात्र/छात्राओं को आवेदन करने हेतु तथा संस्था स्तर से आवेदन अग्रसारित करने की निम्न तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं-
- पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रों को आवेदन करने हेतु दिनांक: 10 अगस्त, 2023 से 10 अक्टूबर, 2023 तक निर्धारित की गयी है।
- शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डेटा में पाठ्यक्रम, सीटों की संख्या, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क अपडेट कर लॉक करने हेतु दिनांक 21 सितम्बर, 2023 से 19 दिसम्बर, 2023 निर्धारित है।
- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन से मास्टर फीस आदि सत्यापन कर लॉक करने हेतु दिनांक: 22 सितम्बर, 2023 से 22 दिसम्बर, 2023 निर्धारित की गयी है।
- छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक: 22 सितम्बर, 2023 से 22 दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित की गयी है।
- शासन द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार समस्त प्रकार की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये, जिससे कोई भी छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित न रहे।
- जिलाधिकारी (अध्यक्ष) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति द्वारा जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वह शिक्षण संस्थान में विशेष प्राथमिकता के आधार पर शासन की मंशा के अनुरूप छात्रवृत्ति योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु एक बैनर बोर्ड तैयार कराकर संस्था में लगायें, जिस पर छात्रवृत्ति आवेदन करने की तिथि एवं आवेदन करने की अन्तिम तिथि अनिवार्य रूप से अंकित की जायें एवं इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करायी जाये, जिससे कोई भी छात्र आवेदन करने से वंचित न रह पाये। आवेदन करने हेतु छात्र/छात्रों को आय, जाति प्रमाण-पत्र विशेष प्राथमिकता के आधार पर निर्गत कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया।
- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा वित्तीय 2023-24 से छात्रवृत्ति पोर्टल पर हुए नये परिवर्तन में इस वर्ष लागू की जाने वाली E-Kyc (वाली आधार पोर्टल से आवेदक का स्वतः नाम, पिता का नाम, पता, फोटो आदि फेच हो जायेगा) प्रक्रिया के बारे में भी सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू की जाने वाली आधार आधारित उपस्थिति के आधार पर 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने के नियम के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि आधार आधारित उपस्थिति इस वित्तीय वर्ष अनिवार्य नहीं है फिर भी संस्थायें स्वयं अपने कैम्पस में इस प्रक्रिया की शुरुवात इसी वर्ष से करने की व्यवस्था करें, जिससे अगले वित्तीय वर्ष से इस व्यवस्था को लागू करने में छात्रों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
- आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था लागू किये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष जनपद लखनऊ की 10 शासकीय शिक्षण संस्थानों में इस प्रक्रिया को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 10 निजी शिक्षण संस्थाओं जिनमें अध्ययनरत छात्रों को सर्वाधिक छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति की

आधार आधारित छात्रोपस्थिति की व्यवस्था की जाती है। 'श्रीदत्त इण्डिया लिमिटेड' के माध्यम से लागू कराये जाने हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ को अधिकृत किया जाता है। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह व्यवस्था इस वर्ष पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संस्थाओं में निःशुल्क लागू की जायेगी तथा इससे प्राप्त परिणामों को समिति की अगली बैठक में एजेण्डा बिन्दु के रूप में रखते हुए कल्याण विभागों के मुख्यालयों को भी अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया।

- समस्त शिक्षण संस्थायें उन्हीं छात्रों के आवेदनों को अग्रसारित करेंगीं, जिनके विगत वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित हो गये होंगे तथा आवेदन में वार्षिक आधार पर प्राप्तांक और पूर्णांक अंकित किये गये होंगे इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक सूचनायें का परीक्षण कर आवेदन को अग्रसारित करेगी। संस्था के स्तर से अग्रसारित अपूर्ण/गलत आवेदनों हेतु संस्था को उत्तरदायी माना जायेगा।
- शिक्षण संस्था द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संशोधित कर संस्था में जमा करने का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा इसकी सूचना भी अनिवार्य रूप से नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाये।
- विगत वर्षों में छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में अनेक अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसकी जाँच भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही है। सभी शिक्षण संस्थानों का यह दायित्व होगा कि सम्बन्धित विभागों से समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित व्यवस्थानुसार पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन ही अग्रसारित किये जाये, किसी भी स्थिति में अपात्र छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन अग्रसारित न किये जाये, अन्यथा संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक: 15 सितम्बर, 2023 में निर्धारित समयावधि विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से अनुमोदित शुल्क संरचना आदि सत्यापित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक किया जायेगा।
- जनपद के ऐसे शिक्षण संस्थान जिनके द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना सम्बन्धी अभिलेख निर्धारित समय तक विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु न्यूनतम देय शुल्क को ही सत्यापित कर लॉक किया जायेगा।
- शिक्षण संस्थाओं का यह दायित्व होगा कि संस्था में अध्ययनरत तथा आवेदन करने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा के आवेदनों को सत्यापित कर अग्रसारित करने के पूर्व समस्त प्रवृष्टियों/अभिलेखों का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाये।
- शैक्षणिक-सत्र के दौरान प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75 प्रतिशत उपस्थिति सम्बन्धी अभिलेखों का अभिलेखीकरण करते हुए शिक्षण संस्थान सम्बन्धित कल्याण विभाग के कार्यालय को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करायेगें। निर्धारित मानक न पूर्ण करने वाले छात्रों के आवेदन किसी भी स्थिति में अग्रसारित न किये जाये। यदि किसी भी अपात्र छात्र को छात्रवृत्ति भुगतान हो जाता है, तो संस्था का दायित्व होगा कि वह छात्रवृत्ति धनराशि तत्काल सम्बन्धित कल्याण विभाग के विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराये।
- शिक्षण संस्थान के भौतिक/स्थलीय/अभिलेखीय सत्यापन के दौरान यदि वसूली योग्य कोई भी धनराशि छात्र/संस्था स्तर पर लम्बित पायी जाती है, तो इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुसार शिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्राविधानित है कि जिन छात्र/छात्राओं का पाठ्यक्रम में प्रवेश शैक्षणिक-सत्र अप्रैल से मार्च से मध्य हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राएं उसी वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि पाने हेतु पात्र होंगे, इसका प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा किये गये परिवर्तनों तथा लागू व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी संस्थाओं को अवगत कराया गया तथा निर्देशित किया गया कि समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 221/2019/4119/26-3-2019(रिट)/2011 दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 एवं समान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संशोधित नियमावली के नियम 5(xv) व नोट-2 एवं शासनादेश संख्या: 148/2018/2063/26-3-2018-4(358)/07टी0सी0- 111 दिनांक: 28 जून, 2018 सप्तम संशोधन के नियम 5(xvi) में स्पष्ट है कि किसी विश्वविद्यालय /शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा, सीट, स्पाट सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। अतः ऐसे छात्र/छात्राओं के आवेदन न भराये जाये। उक्त नियम पिछड़े वर्ग के सम्बन्धित छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा राज्य तथा केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु चलायी जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि संस्थायें अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों का आवेदन केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत एन0एस0पी0पोर्टल पर कराने को प्राथमिकता दे, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को योजना का लाभ प्राप्त कराया जा सके।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में समाज कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के लॉगिन पर पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्कुटनी के पश्चात् उपलब्ध कराये गये शुद्ध/सस्पेक्ट डाटा का कार्यालय स्तर पर परीक्षण करते हुए पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदनों को डिजिटल हस्ताक्षर से समयान्तर्गत सत्यापित कर अग्रसारित करने तथा अपात्र/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण एवं ऐसे समस्त आवेदन जिनके सन्देहास्पदता के निवारण की पुष्टि न हो को निरस्त करने की जिला स्तरीय छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति समिति संस्तुति प्रदान करती है।

समिति की बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ok


(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

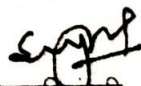
पत्रांक 221 / पि0व0क0 / छा0शुल्क0 / 2023-24

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
- 3- उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, लखनऊ।
- 4- ~~समस्त कुल सचिव केन्द्रीय/राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय जनपद-लखनऊ।~~
- 5- समस्त प्रबन्धक/निदेशक/कुल सचिव/प्रधानाचार्य/प्राचार्य सम्बन्धित शिक्षण संस्थान, लखनऊ।
- 6- कार्यालय प्रति।

ok


जिलाधिकारी,
लखनऊ।